# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
प्रकरण संख्या : 147/2020
उनवान : सरकार जरिये ज्ञानेन्द्र सिंह, पु.नि. थानाधिकारी, थाना विश्वकर्मा, जयपुर शहर राज.

बनाम

1. उमेश पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी म.नं. 60, जय श्री नगर, थाना मुरलीपुरा, जयपुर।
2. छोटीलाल पुत्र श्री नाथूराम निवासी ग्राम आकेडा डूंगर थाना विश्वकर्मा जयपुर। डीलर राशन की दुकान ग्राम पंचायत अखैपुरा जयपुर।

. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री दिनेश कुमार शर्मा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना विश्वकर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 02.07.2011 को शिकायत की जांच हेतु अप्रार्थी संख्या 2 की राशन की दुकान पर जांच करने पर बाहर खडी जीप महिन्द्रा आरजे–14–1सी–4098 में मिले 2 ड्रम मय 400 लीटर नीला केरोसीन व उसके अवैध परिवहन में काम ली जा रही उक्त जीप को जब्त किया गया। दौराने जांच अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण जब्त सामान के क्रय–विक्रय, परिवहन व भण्डारण के वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द ा, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु धिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को ोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 12.10.2011 को अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा ने उपस्थिति दी एवं दिनांक 14.12.2011 को जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया कि श्रीमान हसीलदार, आमेर द्वारा दिनांक 13.06.2011 को पत्र द्वारा अप्रार्थी को सूचित किया कि वर्षा के मौसम में म्भावित बाढ के बचाव हेतु 200 लीटर केरोसीन एवं 5 क्विंटल गेहूं रिजर्व रखें। अप्रार्थी दो उचित मूल्य की ुकान का मालिक है एवं अप्रार्थी की एक दुकान जर्जर हालात में थी इसलिये उक्त सामान सुरक्षित रखे जाने तु दूसरी दुकान ले जाने के लिये वाहन में रखा था। दिनांक 08.08.2011 को श्री अशोक कुमार गुप्ता ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 4,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 06.09.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 02.07.2011 को जब्त सामान का अप्रार्थी द्वारा कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध भण्डारण व परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थीगण ने जब्त सामान को कब्जे में रखने व परिवहन करने बाबत परमिट, लाईसेंस व बिल प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में जब्त गाडी के अलावा अन्य किसी भी जब्त सामग्री के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1(वाहन चालक) ने उक्त जब्त सामान अप्रार्थी संख्या 2 से खरीदना बताया एवं अप्रार्थी संख्या 2 ने भी इसकी पुष्टि की। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब में अंकित किया कि श्रीमान तहसीलदार आमेर के बाढ की आशंका से 200 लीटर केरोसीन रिजर्व में रखने के आदेश एवं प्रार्थी की एक दुकान जर्जर होने के कारण सामान को स्वयं की दूसरी उचित मूल्य की दुकान पे रखवा रहा था। चूंकि उक्त स्थिति में तहसीलदार के आदेशानुसार अप्रार्थी को 200 लीटर केरोसीन ही दूसरी दुकान पर रखवाना था जबकि मौके से 400 लीटर केरोसीन प्राप्त होना केरोसीन की कालाबाजारी को पुष्ट करता है। यह बात जब्त वाहन के ड्राइवर द्वारा मौके पर जब्तशुदा केरोसीन तेल को डीलर छोटेलाल से खरीदना बताया, इस बात से और भी सुनिश्चित होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक वितरण के केरोसीन को बिना किसी वैध बिल–परमिट के कालाबाजारी के उद्देश्य से भण्डारण व परिवहन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में 2 ड्रम मय 400 लीटर नीला केरोसीन व उसके अवैध परिवहन में काम ली जा रही जीप आरजे–14–1सी–4098 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होगी। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर